न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 159/25 (223 आरटीए)
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/254

उनवान

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री चरनसिंह
2. हुकमसिंह पुत्र चरनसिंह
3. लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री चरनसिंह
4. रघुवीरसिंह पुत्र श्रीचरनसिंह

} जाति राजपूत ठाकुर निवासी ग्राम रामपुरा तहसील व जिला भरतपुर (राज.)

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. गिरधरसिंह पुत्र मेजर गोविन्दसिंह
2. हेमेन्द्र कौर पत्नी स्व. श्री नटवरसिंह
3. जगतसिंह पुत्र स्व. श्री नटवरसिंह

} जाति जाट निवासी कोठी गोविन्द निवास कृष्णा नगर भरतपुर

4. तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध मु.स. 02/2023 बउनवानी महेन्द्रसिंह आदि बनाम गिरधरसिंह आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2025 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 183 आर.टी.एक्ट

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट्स श्री कृष्ण कुमार सिंघल।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 श्री राजेश कुमार सोगरवाल।

निर्णय दिनांक : 19.03.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा मु.स. 02/2023 बउनवानी महेन्द्रसिंह आदि बनाम गिरधरसिंह आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2025, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 183 आर.टी.एक्ट के विरुद्ध पेश की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणात्मक, कब्जा वापसी एवं हुक्म ईमनाई दवामी का एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश करते हुए विवादित आराजी वाके ग्राम रामपुरा तहसील व जिला भरतपुर के सम्पूर्ण रकबा के खातेदार काश्तकार घोषित कराने एवं प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन कराने का निवेदन किया गया। जिसमें असल रेस्पोडेन्ट्स द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा वादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र का जबाब पेश किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

गया। तद्उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.09.2025 को प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्ष की बहस सुनकर प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर दावा वादी खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। अपीलान्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार सिंघल एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सोगरवाल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का दावा रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर पारित किया गया है रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में धारा 11 सीपीसी का ऐतराज लिया गया है, धारा 11 के ऐतराज का निस्तारण उभयपक्ष की साक्ष्य ली जाकर ही किया जा सकता है क्योंकि रेसज्यूडिकेटा का बिन्दु विधि एवं तथ्य मिश्रित बिन्दु है। प्रतिवादीगण द्वारा वादपत्र में जबाब दावा भी प्रस्तुत नही किया है। जबकि जबाब दावा प्रस्तुत करने के पश्चात तनकीयात के आधार पर साक्ष्य अभिलिखित होने के उपरान्त ही रेसज्यूडीकेटा के बिन्दू पर कानून के अनुसार ही निर्णय पारित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा खारिज करते समय अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावे के कथनों की ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में पूर्व में प्रस्तुत दावे का विभाजन का होना अंकित किया है। पत्रावली पर पूर्व की प्रति पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी दस्तावेजात के दावा खारिज कर दिया। वर्तमान में अपीलान्ट का दावा घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 89 का है। रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त वही लागू होता है जहां पूर्व के दावे में पक्षकार एवं दादरसी एक समान हो। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान दावे एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा कथित पूर्व दावे की दादरसी अलग–अलग हैं इन सभी तथ्यों को दरकिनार करते हुये अपीलान्ट का दावा खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी त्रुटि की है। अपीलान्ट द्वारा दावा अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत दायर किया गया था। कानूनन खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् दावे को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में Co-tenant दर्शित है वे गलत है। रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी द्वारा जिस कथित पूर्व दावे का वर्णन किया है वह मात्र धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसकी अपील वर्तमान में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है इस प्रकार पूर्व दावा का भी अभी अन्तिम निस्तारण नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में भी धारा 11 सीपीसी को आधार मानकर प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर दावा खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी त्रूटि की है। दावा अभी Pendancy में है, अपील विचाराधीन है तो धारा 11 लागू नहीं होगी। राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो जाने के आधार पर दावा खारिज नहीं किया जाता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री काबिल निरस्तनीय है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

15.09.2025 खारिज कर विधिसम्मत निर्णय हेतु रिमाण्ड किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट का बंटवारे का वाद अंतिम रुप से डिक्री किया जा चुका है जिसमें विवादित खसरा नम्बर 99 रकबा 0.62 हैक्टर का विभाजन हो चुका था, प्रार्थीगण के हिस्से में वर्तमान खसरा नम्बर 942/99 आया है तथा वादीगण/अपीलान्ट के हिस्से में वर्तमान खसरा नम्बर 942/99 रकबा 0.31 हैक्टर आ चुका है। रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा वास्ते बंटवारा प्रस्तुत करते हुए विवादित आराजी मे निहित अपने अधिकारी खातेदारी हिस्सा 1/2 को पृथक कराने की प्रार्थना की गई थी। रेस्पोडेन्ट के दावे को अपीलान्ट्स ने कन्टेस्ट करते हुये रेस्पोडेन्ट के अधिकारों को चुनौती दी थी। दोनों पक्षों को सम्पूर्ण सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का बंटवारा का वाद उनवानी नटवरसिंह बनाम हुकमसिंह वाद सं. 160/12 दिनांक 08.03.2021 को प्रारम्भिक डिक्री कर दिया गया था। जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील सं. 71/2021 उनवानी हुकमसिंह बनाम कु0 नटवरसिंह वगै. प्रस्तुत की गई जो दिनांक 29.10.2021 को खारिज की गई थी। जिसके बाद अपीलान्ट की ओर से द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है। अपीलान्ट द्वारा बंटवारे के दावे में काउन्टर क्लेम भी पेश नहीं किया गया। वर्तमान में अपीलान्ट ने हुकमसिंह के नाम से दावा कर दिया। जबकि अपीलान्ट स्वयं पूर्व दावे में हाजिर थे। यदि कोई वाद एक बार तय हो जाए तो उसे दुबारा पेश नहीं किया जा सकता है एवं न्यायालय का समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा दुबारा दावा पेश नही किया जा सकता है। अतः अपीलान्ट द्वारा पेश अपील आधारहीन है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत रुप से सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.09.2025 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 06.10.2025 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत किया। प्रतिवादीगण ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया। इस प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई कर अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलान्ट्स द्वारा पेश दावा प्रतिवादीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर खारिज कर दिया।

सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 7 नियम 11 सीपीसी निम्न प्रकार है:–

11. वादपत्र का नामंजूर किया जाना – वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा : –

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

(क) जहां वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है;

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है;

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है;

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है :

परन्तु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि न्यायालय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण' से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति, मूल्यांकन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढ़ाने से इंकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा।

(ङ) जहां वह दो प्रतियों में फाईल नहीं किया जाता है;

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है;

कोई भी वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत तभी खारिज किया जा सकता है जब वादपत्र में वर्णित आधारों में से कोई एक आधार स्पष्ट होता हों।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने द्वारा पारित जैर अपील आदेश दिनांक 15.09.2025 में यह माना है कि "पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सं. 2070–2073 के अनुसार वाके ग्राम रामपुरा स्थित 942/99/0.31 खाता सं. 363 दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के अनुसार वाके ग्राम रामपुरा स्थित 941/99/0.31 खाता सं. 364 दर्ज रिकार्ड है, जबकि सम्वत 2066–2069 में ग्राम रामपुरा खाता सं. 44 में खसरा नम्बर 99/0.62 दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त आराजी पर पूर्व में ही निर्णय उपरान्त जमाबन्दी में भी इन्द्राज हो चुके हैं। खसरा नं. 99 वाके ग्राम रामपुरा पूर्व में दो अलग–अलग हिस्सों में बंटवारा हो चुका है, जिसका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो चुके हैं।

आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है। प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होना पाते है।"

इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी एवं इस प्रार्थना–पत्र का अपीलान्ट्स वादीगण द्वारा जबाब का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स वादीगण ने अपने जबाब में स्वयं ने माना है कि वे पूर्व के दावा जो नटवर सिंह द्वारा राजस्व रिकार्ड में रहें गलत इन्द्राजात के आधार पर अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसका वर्तमान वादीगण हुकमसिंह, महेन्द्रसिंह आदि द्वारा प्रतिवाद किया गया था परन्तु वर्तमान वादीगण महेन्द्रसिंह के प्रतिवादी 03 को खारिज करते हुए विभाजन प्रारम्भिक डिक्री की गयी। इस प्रकार अपीलान्ट्स पूर्व के दावे में पक्षकार रहे हैं एवं पूर्व दावा के क्रम में

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज भी हो चुके है, इसलिए विधिसम्मत रुप से अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर अपीलान्ट वादीगण द्वारा पेश दावा खारिज किया है जो हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2025 को यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।

12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर